न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान प्रभूदयाल बनाम गणेश

मुकदमा संख्या/वर्ष टी0आई0 177/2022

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	03/11/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेर सैनी व अप्रार्थी 01 लगायत 03 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा उपस्थित। वकील प्रार्थी ने लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम निवारू, पटवार हल्का निवारू, भू.अ.नि. क्षेत्र झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 43 रकबा 0.4426 है0, प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि है। खसरा नबंर 43 के दक्षिण दिशा में खसरा नबर 42/1, 42/3, 42/4 स्थित है, जिनमें से खसरा नम्बर 42/1, 42/3 की खातेदारी जे0डी0ए0 जयपुर तथा खसरा नम्बर 42/4 की खातेदारी अप्रार्थी सख्या 1 लगायत 3 के नाम है तथा उत्तर दिशा में खसरा नबंर 44 स्थित है, जो दीगर व्यक्तियों की खातेदारी की है। खसरा नबंर 44 की पश्चिम दिशा में खसरा नबंर 44/548 किस्म गैर मुमकिन आबादी स्थित है । अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 खसरा नबंर 43 की दक्षिणी सीमा सींवडोल के साथ आये दिन छेडछाड़ व तोडफोड़ करते रहते है। प्रार्थी की भूमि का सीमांकन भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दिनांक 07.04.2021 को ई0टी0एस0 मशीन से किया गया। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 43 का ई0टी0एस0 मशीन से किया गया सीमांकन अभिलेख पर है। ऐसी सूरत में सीमाओं के साथ छेड़–छाड़ किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। यह कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है, क्योंकि अप्रार्थी को भूमि की सीमाओं से छेडछाड नहीं करने के लिए पाबंद किये जाने से अप्रार्थी को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, अपितु अनावश्यक रूप से कानूनी पेचिदगियों को उत्पन्न होने से रोके जाने के साथ–साथ वादों की बाहुल्यता को भी रोका जा सकता है। अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है। यदि अप्रार्थी के इन कथनों को सत्य मान लिया जावे कि अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 42/4 का सीमांकन करवाकर अपनी भूमि पर काबिज है, तो फिर अप्रार्थीगण को यह कतई अधिकार नहीं है कि वे प्रार्थी की भूमि खसरा नम्र 43 में अथवा उसकी सीमा में किसी प्रकार रद्दों बदल, छेडछाड़ करे। प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन में अनुतोष भी खसरा नम्बर 43, वाके ग्राम निवारू, प0ह0 निवारू, तह0 व जिला जयपुर के उपयोग–उपभोग में बाधा व विघ्न कारित नहीं करने एवं भूमि की दक्षिणी सींव डोल के साथ छेडछाड़ नहीं करने तोडफोड नहीं करने बाबत् अनुतोष चाहा है। उक्त अनुतोष व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा में किये गये अभिवचनों के मध्यनजर अप्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई कथन नहीं है कि खसरा नम्बर	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

	31/1/25	43 एवं 42/4 के मध्य सींवडोल ना हो, ऐसी सूरत में यदि वादपत्र के लंबित रहने की अवधि में अप्रार्थीगण सींवडोल के साथ छेडछाड कर उसे नष्ट करने के कुत्सित इरादो में कामयाब हो जायेगें तो इससे प्रार्थी को उत्पन्न होने वाली क्षति की पूर्ति मौद्रिक रूप में किया जाना संभव नहीं होगा। इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कि वे मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी की भूमि खसरा नबंर 43 के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा व विघ्न ना तो स्वयं उत्पन्न करे, ना ही अन्य दीगर से करवावें तथा ना ही प्रार्थी की उक्त भूमि की दलीभी सींवडोल के साथ छेडछाड करे, ना ही इसमें तोडफोड करे ना ही जबरन प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर कब्जा करे, ना ही प्रवेश करे। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 उक्त कृत्य ना तो स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट अथवा अन्य से करवावें। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी/प्रतिवादी की भूमि खसरा नम्बर 43 से अप्रार्थी का कोई संबंध सरोकार नहीं है। अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की खातेदारी भूमि 42/4 है। जिसका प्रतिवादी गण ने तहसीलदार के आदेश पर किये गये सीमाज्ञान के अनुसार ही काबिज काश्त है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस व पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन कर न्यायालय यह पाता है प्रार्थी के खसरा नम्बर 43 रकबा 0.4426 है0 अवस्थित ग्राम निवारू, पटवार हल्का निवारू, भू.अ.नि. क्षेत्र झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर का रिकॉर्डेड़ खातेदार है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, चूंकि प्रार्थी के खसरा नम्बर 43 के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 की भूमि खसरा नम्बर 42/4 है, जिनके बीच सीमा संबंधी विवाद होने पर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र वाद अन्तर्गत धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया है। अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय–वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि अवस्थित ग्राम निवारू, पटवार हल्का निवारू, भू.अ. नि. क्षेत्र झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 43 रकबा 0.4426 है0, पर दिनांक 30/03/2021 के द्वारा भू–प्रबंध विभाग व राजस्व विभाग द्वारा जो सीमाएं चिन्हित की गई है, उन पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 31/1/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम